28 07/22

पत्रावली पेश हुई। कुछवाच उपप मूल वाद सं 188 RJM का वापसी पत्र का स्वीकार हो चुका है। जिससे अब प्रस्तुत T.I. प्रा.पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने तथा मूल वाद के अभाव में T.I. प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से निस्तारित अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।